



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122025-268516
CG-DL-E-15122025-268516

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5586]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/अग्रहायण 24, 1947

No. 5586]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/AGRAHAYANA 24, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5781(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4726 तारीख 17/10/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर - सोलापूर - अक्कलकोट- महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा (सोलापूर के स्पर कनेक्टिविटी के साथ) ग्रीनफिल्ड संरेखन किमी 418.800 से किमी 547.000 तक के भूखंड के निर्माण (छह/आठ लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 04/11/2025 को लोकमत (मराठी) और दैनिक इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर - सोलापूर - अक्कलकोट- महाराष्ट्र /कर्नाटक सीमा (सोलापूर के स्पर कनेक्टिविटी के साथ) ग्रीनफिल्ड संरेखन किमी 418.800 से किमी 547.000 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अक्कलकोट					
गांव का नाम: मैदगी (ग्रामीण)					
1	275	निजी	एग्रीकल्चर	0.42	सिद्धाराम शिवशरणप्पा मसुती, सोमशेखर शिवशरणप्पा मसुती, मल्लिकार्जुन शिवशरणप्पा मसुती 275
2	276	निजी	एग्रीकल्चर	1.51	गजानंद कुचपा निंगदळी सायबण्णा कुचपा निंगदळी लक्ष्मण कुचपा निंगदळी गजानंद कुचपा निंगदळी गजानंद कुचप्पा

					निगदळी 276
3	278	निजी	एग्रीकल्चर	0.05	अ.हमीद अ.अजीज बांगी महमदहाजी अ.अजीज बांगी नफिसा अ. रशीद बांगी, यास्मिन अ. रशीद बांगी, सैपन अ. रशीद बांगी, लालबी अ. रशीद बांगी, करीम अ. रशीद बांगी रूपा लक्ष्मीपुत्र निंबाळ सादिक अब्दुलरजाक बांगी 278
4	348/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.33	संजय बाबू राठोड 348/1
5	348/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.26	चंद्रकांत लक्ष्मण चिक्कळी 348/2
6	348/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	मल्लम्मा प्रकाश चिणमगेरी 348/3
7	349	निजी	एग्रीकल्चर	0.32	मल्लिकार्जुन सिद्राम कवठी नागप्पा शंकरेप्पा नागणसुर, शिवशरण शंकरेप्पा नागणसुरे, सिद्धाराम शंकरेप्पा नागणसुरे 349
8	350	निजी	एग्रीकल्चर	0.6	मल्लिकार्जुन सिदराम कवथी 350
9	353	निजी	एग्रीकल्चर	0.66	इंदुबाई काशिनाथ जकापूरे काशिबाई

					नागरेड्डी डेरिबेरी लक्ष्मी दशरथ शिपरे, खाजप्पा नागरेड्डी डेरबेर, नागम्मा नागेश पवार, बसम्मा नागरेड्डी डेरबेर, यलालिंग नागरेड्डी डेरबेर, सुनिता विशाल बंगी, काशीबाई नागरेड्डी डेरबेर, रूपा नागरेड्डी डेरबेर खाजपा नागरेड्डी डेरिबेरी यल्लालिंग नागरेड्डी डेरिबेरी 353
Total				4.16	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5781(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4726 Dated: 17/10/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Six/Eight-laning etc.), maintenance management and operation of National Highway, in the stretch of land for newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN Border (Including Spur Connectivity to Solapur Town) Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/000 (Maharashtra Section) in Solapur District in the State of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat” and “The Indian Express” both dated 04/11/2025;; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for the newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN Border (Including Spur Connectivity to Solapur Town) Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/000 in Solapur District in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Akkalkot					
Village: Maindargi (Rural)					
1	275	Private	Agriculture	0.42	Siddharam Shivsharanappa Masuti, Somashekhar Shivsharanappa Masuti, Mallikarjun Shivsharanappa Masuti 275
2	276	Private	Agriculture	1.51	Gajanand Kuchpa Ningdali Saibanna Kuchpa Ningdali Laxman Kuchpa Ningdali Gajanand Kuchpa Ningdali Gajanand Kuchappa Ningdalli 276
3	278	Private	Agriculture	0.05	A.Hamid A.Aziz Bangi Mahmudahaji A.Aziz Bangi Nafisa A. Rashid Bangi, Yasmin A. Rashid Bangi, Saipan A. Rashid Bangi, Lalbi A. Rashid Bangi, Karim A. Rashid Bangi Rupa Lakshmiputra Nimbali Sadiq Abdulrazak Bangi 278
4	348/1	Private	Agriculture	0.33	Sanjay Babu Rathod 348/1
5	348/2	Private	Agriculture	0.26	Chandrakant Laxman Chikkali 348/2
6	348/3	Private	Agriculture	0.01	Mallamma Prakash Chinmageri 348/3
7	349	Private	Agriculture	0.32	Mallikarjun Sidram Kavathi Nagappa Shankarappa Naganasure, Shivasharan Shankarappa

					Naganasure, Siddharam Shankarappa Naganasure 349
8	350	Private	Agriculture	0.6	Mallikarjun Sidram Kavathi 350
9	353	Private	Agriculture	0.66	Indubai Kashinath Jakapore Kashibai Nagareddy Dairyberry Lakshmi Dashrath Shipre, Khajappa Nagareddy Derber, Nagamma Nagesh Pawar, Basamma Nagareddy Derber, Yalalinga Nagareddy Derber, Sunita Vishal Bangi, Kashibai Nagareddy Derber, Rupa Nagareddy Derber Khajpa Nagaredi Dairyberry Yallaling Nagaredi Deriberi 353
Total				4.16	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director